संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

→ सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में 'प्रस्तावना' को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा आस्ट्रेलिया से ली गई है।

→ प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। इसमें संविधान का सार होता है। एक प्रकार से यह 'संविधान का परिचय पत्र' होता है। इससे संविधान के उद्देश्य का पता चलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न बातें बताती है -

- प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों (हम भारत के लोग) को बताती है।
- प्रस्तावना से भारत की प्रकृति का पता चलता है। इसके अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है।
- प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य का पता चलता है। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं।
- प्रस्तावना से भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, 26 नवम्बर 1949 (यद्यपि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था) का पता चलता है।

→ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए, पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' [13 Dec 1946 को पेश किया तथा 22 Dec 1946 को अपनाया गया] पर आधारित है।

→ प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों का क्रम -
प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखण्डता, बंधुत्व।

संप्रभुता (Sovereignty)

→ संप्रभुता का आशय है - भारत अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और नही किसी अन्य ~~अन्य~~ देश का डोमिनियन है। (उपनिवेशक के रूप में अन्य किसी देश के शासक पर निर्भरता) एक सम्प्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है।

नोट:- यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, लेकिन भारत ने यह अपनी स्वेच्छा से

Scanned by CamScanner

किया है न कि बाह्य होकर। भारत जब चाहे इसकी सदस्यता छोड़ सकता है। इसीलिए भारत एक सम्प्रभु है।

समाजवादी -(42 वें संशोधन द्वारा [1976], शामिल किया गया)

→ प्रस्तावना में जिस समाजवाद का जिक्र किया गया है, वह 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है न कि 'साम्यवादी समाजवाद'। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ-साथ मौजूद रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार - "लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है।"

> साम्यवादी समाजवाद (राज्याश्रित समाजवाद) - इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। अर्थात राज्य के सभी संसाधनो के उत्पादन और वितरण पर केवल सरकार का अधिकार होता है। जरूरत के अनुसार सरकार साधनों का वितरण लोगों में करती है।

धर्म निरपेक्ष (secular) -

→ भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनु. 25-28) का प्रावधान है। इसी को ध्यान में रखकर 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 'धर्म निरपेक्ष' शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हे सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।

धर्म निरपेक्ष का वास्तविक अर्थ है - किसी धर्म का न होना अर्थात भारत राज्य का कोई धर्म नही होगा। भारत के लोग स्वेच्छा से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं।

लोकतांत्रिक (Democracy) - जनता द्वारा शासन

→ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की परिकल्पना की गई है वह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहीत हो। इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।

→ भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (प्रतिनिधि लोकतंत्र) है। अर्थात जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं।

Scanned by CamScanner

सामाजिक लोकतंत्र - इसका अर्थ है - वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो।

→ एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है - ① राजशाही ② गणतंत्र।

राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख (आमतौर पर राजा या रानी) उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे - अमेरिका का राष्ट्रपति।

→ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है।

गणतंत्र की विशेषताएँ

- राजनैतिक संप्रभुता किसी व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में न होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है।
- किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। इसीलिए गणराज्य में हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक नागरिक के लिए खुला रहता है।

न्याय (Justice)

→ प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है।

सामाजिक न्याय - हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार।

आर्थिक न्याय - आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक न्याय - हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे।

समता (Equality)

→ समता का अर्थ है - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना।

Scanned by CamScanner

→ भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को समता के तीनो आयाम - ① नागरिक समता (अनु॰ 14, 15, 16 के माध्यम से) ② राजनीतिक समता (अनु 325, 326 के माध्यम से) तथा ③ आर्थिक समता (अनु॰ 39 के माध्यम से) को सुनिश्चित करता है।

बंधुत्व (Fraternity) - [42 वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया]

→ बंधुत्व का अर्थ - भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना बंधुत्व में व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता व अखण्डता को सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति (1789 - 1799) से लिया गया है।

→ 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द सम्मिलित किए गए।

प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
- इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है।
- संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है।

→ भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया था।

प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं ?

→ बेरुबाड़ी संघ मामले (1960) में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इंकार कर दिया था। किन्तु केशवानंद भारती मामले (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य) 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह महसूस किया कि यह भारतीय संविधान का अति महत्वपूर्ण है। L.I.C of India मामले (1995) में उच्चतम न्यायालय ने पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है।

Scanned by CamScanner